

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 16-6-15

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-31-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50P470200796310759 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग/ 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना /31-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन,	07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50P470200796310759	30.00

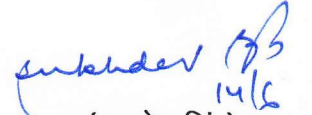
आवंटित राशि - तीस लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2015-16 के बजट उपबंध रु. 35.00 लाख (पैंतीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
 8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
 9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
 10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
 11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
 12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे। राशि का प्रत्यर्पण कार्यवार, उप शीर्षवार किया जाय तथा जिस Access No से आवंटन प्राप्त हुआ था उसको भी अंकित करना आवश्यक है।
- नोट :** आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

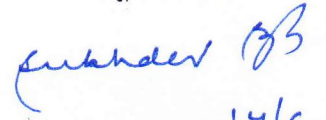

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 47

राँची, दिनांक :- 16-6-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी/लोहरदगा/गुमला/सिमडेगा/चाईबासा/सरायकेला-खरसावा/जमशेदपुर/लातेहार/दुमका/जामताड़ा/साहेबगंज/पाकुड़ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

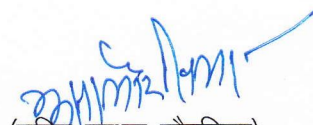
ज्ञापांक :- 47

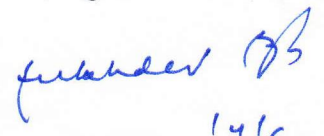
राँची, दिनांक :- 16-6-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौधरिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

पत्रांक - 47

/सँची, दिनांक - 16-6-15

परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग
मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिचय
लघु शीर्ष -796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,
उपशीर्ष - 31-सर्वक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन,
विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपन्न कोड 50P470200796310759
बजट उपबंध (वर्ष 2015-16) रु. 35.00 लाख (पैतीस लाख) मात्र।

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2015 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी (RNCIAR01)	खूँटी	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, सँची/दुमका	लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 में सतही सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण हेतु	03/15-16 प्र.स्वी. दिनांक-08.05.2015	4.000	0.00	0.00	4.000	4.000	42306	
2	लघु सिंचाई प्रमण्डल, लोहरदगा (LDGIAR001)	लोहरदगा				1.500	0.00	0.00	1.500	1.500	42307	
3	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला (GMLIAR006)	गुमला				2.500	0.00	0.00	2.500	2.500	42309	
4	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सिमडेगा (SDGIAR001)	सिमडेगा				2.500	0.00	0.00	2.500	2.500	42310	
5	लघु सिंचाई प्रमण्डल, चाईबासा (SGHIAR002)	प.सिंहभूम				2.000	0.00	0.00	2.000	2.000	42311	
6	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सरायकेला-खरसावा (SKLIAR033)	सरायकेला खरसावा				2.500	0.00	0.00	2.500	2.500	42313	
7	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर (JSRMAR001)	पू.सिंहभूम				2.000	0.00	0.00	2.000	2.000	42314	
8	लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार (LTRMAR001)	लातेहार				2.000	0.00	0.00	2.000	2.000	42315	
9	लघु सिंचाई प्रमण्डल, दुमका (DMKMAR001)	दुमका				2.500	0.00	0.00	2.500	2.500	42316	
10	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जामताड़ा (JMTMAR022)	जामताड़ा				1.500	0.00	0.00	1.500	1.500	42317	
11	लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज (SBJMAR001)	साहेबगंज				2.000	0.00	0.00	2.000	2.000	42320	
12	लघु सिंचाई प्रमण्डल, पाकुड़ (PKRMAR001)	पाकुड़				2.000	0.00	0.00	2.000	2.000	42322	
13	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सँची (RNCMAR01)	सँची				3.000	0.00	0.00	3.000	3.000	42323	
योग							0.00	0.00	30.00	30.00		
आवृत्ति राशि - तीस लाख मात्र।												

आवंटित राशि - तीस लाख मात्र।

(राशि लाख में)

(ओकार नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति सोधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव